सं. ए.12018/04/2020-डीआरएस(भाग-1)
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(औषधि विनियमन अनुभाग)

*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 14 अक्तूबर, 2022

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय आरडीटीएल, गुवाहाटी, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-निदेशक पद के भर्ती नियम में संशोधन तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव की जाँच कर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमो का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले, इस मामले में सभी हितधारकों की टिप्पणियां, यदि कोई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से निर्दिष्ट अवधि के अंदर प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियाँ अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजी जाएं या कृपया drugsdiv-mohfw@gov.in. पर भेजी जाएं।

संलग्नक:/यथोपरि

(बिकाश आर माहतो)
अवर सचिव, भारत सरकार,
दूरभाष:- 011-23061141

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	चयन या अचयन पद ।	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप-निदेशक	1 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल 12	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण1: सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की छूट। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उप प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।			क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक		परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।

	अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य: कैमिकल टेस्टिंग स्ट्रीम के लिए- रसायन विज्ञान अथवा जैवरसायनिकविज्ञान अथवा फार्मेसी अथवा फार्माकोलोजी में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा बायोलोजिकल टेस्टिंग स्ट्रीम के लिए- मेडिसिन अथवा माइक्रोबायलोजी अथवा फार्माकोलोजी अथवा बायोटेक्नोलोजी में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री अनुभव औषधि परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में 05 वर्ष का अनुभव नोट 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में छूट दी जा सकती है। नोट 2 : अनुभव संबंधी अर्हता में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर छूट उस मामले में दी जा सकती है जब चयन के किसी चरण में कर्मचारी चयन आयोग का यह मानना हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए	आयु: नही शैक्षिक अर्हताएं: हां	लागू नहीं

पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।			
भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक उपक्रमों/विश्वविद्यालयों/स्वायतशासी अथवा सांविधिक संगठनों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/अर्द्ध सरकारी के तहत अधिकारी: (क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारक; अथवा (ii) वेतन स्तर 11 अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में समान पद में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित; अथवा (iii) वेतन स्तर 10 अथवा मूल संवर्ग विभाग में समान पद में 10 वर्ष की नियमित सेवा सहित;	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति/ स्थायीकरण के विचारार्थ) शामिल होंगे। 1. अध्यक्ष/सदस्य-संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय-सदस्य 3. औषध नियंत्रक (भारत)/संयुक्त औषधि नियंत्रक (भारत)- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से पद के लिए नियुक्ति करते समय और इन नियमों में संशोधन करते हुए आवश्यक परामर्श लिया जाएगा।

	(ख) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव धारक नोट: वेतन स्तर 11 में विभागीय वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड में 5 साल की नियमित सेवा के साथ और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाता है। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय उम्मीदवार का चयन किया जाता है; इसे पदोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा।		

[फा.सं. ए.12018/04/2020-डीआरएस (भाग-1)]

((बिकाश आर माहतो))

अवर सचिव, भारत सरकार